राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद पुराना प्रकरण संख्या :– 262/2015
वर्तमान नया राजस्व मूल वाद संख्या– 32/18
निर्णय दिनांक :– 27/7/2022

वादीगण :–

1. गेरूनाथ पुत्र विजेनाथ उम्र–वयस्क
2. सोहननाथ पुत्र विजेनाथ उम्र–वयस्क
3. घीसूनाथ पुत्र विजेनाथ उम्र–वयस्क
4. रामनाथ पुत्र नारायणनाथ उम्र–वयस्क
5. शिवनाथ पुत्र नारायणनाथ उम्र–वयस्क
6. भंवरनाथ पुत्र नारायणनाथ उम्र–वयस्क
7. अणछी बेवा नारायणनाथ उम्र–वयस्क
8. सुरेशनाथ पुत्र नवलनाथ उम्र–वयस्क
9. लक्ष्मी बेवा नवलनाथ उम्र–वयस्क

तमाम जातिगण– नाथ, निवासीगण– गांथी, तहसील–देसूरी
जिला–पाली(राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानीया पुत्र परतीया
2. कन्या बेवा बालिया
3. मु. लक्ष्मी पुत्री परतीया
4. मु. गजरों पुत्री परतीया
5. वजाराम पुत्र खुमा
6. भंवरलाल पुत्र खुमा
7. जमूडी पुत्री खुमा
8. डेलाराम पुत्र रामलाल
9. गेरकी पुत्री रामलाल

तमाम जातिगण–मेणा, निवासीगण–गां[illegible] त[illegible]ल–देसूरी
जिला–पाली(राजस्थान)

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर पुराना 262/2015 एवं नया 32/18 अनवान भैरूनाथ व अन्य बनाम कानीया व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 15,19,88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट 1955....

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री श्रवणसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री पोकरलाल परिवार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 05 से 09 की ओर से इकबालिया जवाब।

निर्णय

दिनांक :–27/7/2022

1– वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय का राजस्व वाद संख्या 262/2015 भैरूनाथ वगैरह बनाम कानीया वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय पाली में राजस्व अपील संख्या 61/2016 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय पाली द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2018 के द्वारा इस न्यायालय का पारित निर्णय एवं डिक्री 15.06.2016 को अपास्त किया जाकर पक्षकारान से जवाब दावा प्राप्त कर प्रकरण में विद्यालय बिन्दू कायम कर दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात् साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात को विनिश्चित करते हुए पक्षकाराने को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गुडा आसकरण पटवार हल्का सुमेर तहसील–देसूरी जिला–पाली में खसरा संख्या 545, 547 से लगाय 558 कुल खसरा 13 कुल रकबा 5.94 हेक्टर अवस्थित है जो वर्तमान में खुमा पुत्र केना 1/2 व परतीया पुत्र दला मेणा के नाम पर 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से गलत अभिलिखित चली आ रही है जिसे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जाएगा।

2– यह है कि विवादित आराजियात साबिक नम्बर 91/1 से बनी है जो कालांतर में भी खुमा पिता केना एवं परतीया पिता दला मेणा के नाम पर अभिलिखित चली आ रही थी। परतीया मेणा एवं खुमा मेणा का निधन हो गया परतीया मेणा ने साबिक आराजियात में निहित अपना 1/2 हक व हिस्सा अर्थात 20 बीघा आराजियात वादीगण के पिता एवं दादा वेजनाथ को 160/- रूपये प्रतिफल में दिनांक 05.05.1955 को विधिवत विक्रय कर कब्जा वेजनाथ को सुपुर्द कर दिया तथा खुमा ने भी अपना 1/2 हिस्सा व हिस्सा उक्त आराजियात का दिनांक 15.06.1956 का वादीगण के पिता व दादा वेजनाथ को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था इस सबंध में परतीया एवं खुमा ने विधिवत विक्रयपत्र वादीगण के मौरूस वेजनाथ के हक में जायज प्रतिफल प्राप्त कर निष्पादित कर अपने अंगुष्ठ कर साखे आदि दिला दी इस प्रकार विवादित आराजियात

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

सम्पूर्ण पर वादीगण के मौरूस वेजनाथ बाद बिकाव निरंतर शांतिपूर्णक तरीके से बहैसियत खातेदार कृषक काबिज हो काश्तकार करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान एवं वादीगण आदि काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा लगान भी तदनुसार जमा करते चले आ रहे है।

3– यह है कि आर.टी.एक्ट के प्रभाव मे आने के वक्त से ही उक्त आराजियात पर वादीगण एवं उनके मौरूस काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे व है इस प्रकार विधिवत विक्रय के आधार पर वादीगण विवादित आराजियात के कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है व हो जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 9 का कोई हक अव अधिकार विवादित आराजियात पर नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 अपने पूर्वज परतीया व खुमा द्वारा वादीगण के मौरूस वेजनाथ को उक्त आाराजियात के किये गये विधिवत बिकाव से बाध्य होकर बाउण्ड है तथा इस बाबत अब प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 विवाद करने से कानूनन स्टोपप्ड है।

4– यह कि यहां अंकित करना सुसंगत होगा कि वादीगण के विवादित आराजियात पर साधिकार विक्रयपत्र के आधार पर कब्जा होते हुये भी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व अन्य मृतक वारिसान ने न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये वादीगण से उक्त आराजियात का पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु एक वाद अन्तगर्त धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 17.09.1974 को न्यायालय में वादीगण के मौरूस वेजनाथ के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 69/74 राजस्व वाद कायम हो उक्त वाद दिनांक 23.06.1982 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध कोई किसी प्रकार की अपील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आज दिन तक नहीं की गई है अर्थात पारित निर्णय दिनांक 23.06.1982 को अंतिम निर्णय होकर नातिक हो चुका है एवं उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत भी प्रस्तुत न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.79 को बाद सुनवाई खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व अन्य मृतक वारिसान ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 385/79 कायम हो उक्त अपील बाद सुनवाई के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.1980 को खारिज की दी गई उक्त निर्णय मे अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजियात पर वादीगण का कब्जा साधिकार माना है साथ ही अपने निर्णय में अंकित किया है कि मेणा जाति भारतीय संविधान 1950 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में नही है बल्कि सामान्य जाति है इस प्रकार धारा 42 बी आर.टी. एक्ट के प्रावधान यहां पर लागू नहीं होने से वादीगण का कब्जा 1956 से विवादित आराजियात पर होने सक्षम न्यायालय के निर्णय के कारण वादीगण विवादित आराजियात के कब्जा मुखलपाने के आधार पर स्वतः खातेदार काश्तकार कानूनन हो गये है व हो जाते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगतार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

5– यह कि पूर्व में चले प्रकरणों में सक्षम न्यायालयों ने यह भी तय किया कि वादीगण से कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई किसी प्रकार की चाराजोही लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा भी आज दिन तक नहीं की गई है तथा इस हेत वाद प्रस्तुत करने की नियत अवधि भी कभी की समाप्त हो चुकी है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 ने कोई किसी प्रकार का खण्डन अपने पूर्वज परतीया एवं खुमा द्वारा वादीगण के मौरूस वेजनाथ को विधिवत किये गये बिकाव के बाबत नहीं किया है जो उनकी ही स्वीकरोक्ति को इंगित करता है। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एवं अन्य परतीया के वारिसान ने प्रकरण संख्या 69/74 में प्रस्तुत वेजनाथ के वादोत्तर का कोई जवाबुलजवाब भी प्रस्तुत नहीं किया न उक्त विधिवत विक्रयपत्र को फर्जी बताया और न उक्त विक्रयपत्र को निरस्त करने बाबज आदिनांक तक कोई चाराजोही की है। स्वयं परतीया एव खुमा ने भी उक्त बिकाव बाबत कभी कोई भी एतराज अपने जीवनकाल तक नही किया है तो फिर प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 जो कि परतीया एवं खुमा के ही फुटस्टेप में आये है वे उक्त बिकाव से पाबंद होकर बाध्य है। वादीगण विवादित आराजियात पर 1955–56 से आदिनाक तक निरंतर काबिज चले आने से अर्थात 60 वर्षो से अधिक समय से वादीगण का कब्जा व दखल शांतिपूर्ण तरीके से होकर चले आने के कारण वादीगण कानूनन उक्त आराजियात का स्वतः खातेदार काश्तकार हो गये है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 का काई कब्जा विवादित आराजियात पर पिछले 60 वर्षो से नहीं रहा है वे मात्र कागजी खातेदार काश्तकार है इस कारण राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 के पूर्वत परतीया व खुमा का नाम हटा विवादित आराजियात वादीगण अपने नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित करा राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकारी है।

6– यह कि परतीया व खुमा का काफी वर्षो पूर्व निधन हो गया किन्तु प्रतिवादी संया 1 लगाय 9 ने उक्त आराजियात पर उनका कब्जा व दखल न होने से ही साथ ही परतीया के वारिसान का वाद सन् 1980 में खारिज हो जाने के कारण ही कोई नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने का प्रयास नही किया इसी कारण राजस्व रेकर्ड में परतीया एवं खुमा का नाम मृत्यु के इतने वर्षो के उपरांत भी अभिखित चला आ रहा है जो मात्र कागती एवं दर्शनीय है जिसे वादीगण हटा अपना नाम उक्त आराजी में खातेदारी हक से अभिलिखित कराने के अधिकारी है।

7– यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 01.09.15 को विवादित आराजियात के संदर्भ मे राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से अभिलिखित चले आ रहे परतीया एवं खुमा का नाम हटा वादीगण के नाम अभिलिखित कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार होना भी नहीं मानते है इस कारण यह घोषण की जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वादीगण विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड से परतीया व खुमा का नाम हटा वादीगण अपने नाम पर विवादित आराजियात खातेदारी हक से अभिलिखित करा राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकारी है।

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

8– यह कि विवादित आरजियात गलत एवं अवैध तरीके से परतीया एवं खुमा के नाम पर अभिलिखित चली आ रही है जिसका नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 09 कभी भी उक्त आराजियात परतीया एवं खुमा के वारिसान होने से अपने नाम पर अभिलिखित करा रहन बय बक्षीश कर हस्तान्तरित कर सकते है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 को कोई हक व अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 ने दिनांक 10.09.15 का वादीगण को धमकी दी कि वे विवादित आराजियात परतीया एवं खुमा के स्थान पर अपने नाम पर अभिलिखित करा रहन बय बक्षीस कर हस्तांतरित करके रहेगें। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 विवादित आराजियात को अपने नाम पर अभिखित करा , रहन बय बक्षीश कर, हस्तान्तरित नहीं करें तथा वादीगण द्वारा विवादित आराजी के निरन्तर 60 वर्षो से किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग मे कोई किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप, बेदखल नहीं करें ना किसी से करावें अतः वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 9 के वाद कृषि आरजियात के खातेदारी हको की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का हस्ब धारा 15,19,88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी प्रस्तुत किया है।

9– अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम गुडा आसकरण पटवार हल्का सुमेर तहसील–देसूरी जिला–पाली में खसरा संख्या 545, 547 से लगाय 558 कुल खसरा 13 कुल रकबा 5.94 हेक्टर भूमि में बजरिये डिक्री घोषणात्मक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जावें कि वादीगण विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड से पतरीया एवं खुमा का नाम हटा वादीगण अपने नाम पर विवादित आराजियात खातेदारी हक से अभिलिखित करा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें तथा बजरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की फरमायी जावें की प्रतिवादी संख्या संख्या 1 लगाय 9 विवादित आराजियात परतीया एवं खुमा के स्थान पर अपने नाम पर अभिलिखित करा हरन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें तथा वादीगण द्वारा विवादित आराजियात के निरन्तर 60 वर्षो से किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग मे कोई किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नही करें, वादीगण को बेदखल नहीं करें ना करावें।

10– वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन व वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 9 की ओर से अधिवक्ता पोकरलाल परिहार ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया। पत्रावली न्याय आपके द्वारा केम्प सुमेर में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 5 लगाय 9 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र मे वर्णित समस्त तथ्य सही होने से स्वीकार है। विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में परतीया एवं खुमा का नाम हटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादीगण के नाम दर्ज कर दिये जाने पर प्रतिवादीगण जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है व वादीगण के नाम पर दर्ज की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जावें।

11– प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्जावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन/मनन करने पर के बाद इस प्रकरण में पूर्व मे दिनांक– 15.06.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प सुमेर में निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया जाकर वादी का वाद अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात ग्राह्य योग्य नहीं होने से खारिज किया गया। जिस निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय मे अपील/पाली/61/2016 प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक–31.01.2018 को माननीय अपील न्यायालय द्वारा किया जाकर अपील निर्णय मे वर्णित निर्देशो के साथ इस अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई। जिस पर अपील के निर्णय के निर्देशानुसार पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय द्वारा यह वाद पुनः राजस्व मूल वाद संख्या–32/18 पर दर्ज किया गया। पत्रावली में वादीगणों की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगणों को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 4 की ओर से अधिवक्ता पोकरलाल ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं जवाब हेतु समय चाहा गया जो न्यायहित में समय दिया गया।

12– अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4 की ओर से दिनांक 17.09.2019 को जवाबदावा मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम गुडा आसकरण पटवार हल्का सुमेर तहसील देसूरी खसरा नम्बर 545, 547 से 558 कुल रकबा 05.94 हेक्टर कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि पर खातेदार खुमा पुत्र केना जाति मीणा का 1/2 हिस्सा तथा परतीया पुत्र दला जाति मीणा का 1/2 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक सही चला आ रहा है, जो अनुसूचित जाति के सदस्य है। जिस पर गैर अनुसूचित जाति के वादीगण का कोई हक–अधिकार नहीं है। प्रमाण स्वरूप तहसील देसूरी द्वारा दिनांक 22.04.2019 का जारी प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2073–76 संलग्न है। राजस्व रेकर्ड में गलत चले आने का वादीगण का कथन गलत होने से अस्वीकार करते है, जिससे वादीगण का दावा खारिज के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

13– यह कि मौजा गुडा आसकरण ... जमीन से बने हाल खसरा नम्बर 545, 547 से ... 558 ... की पुश्तैनी, खातेदारी, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि प्रतिवादीगण खुमा पुत्र केना का 1/2 हिस्सा एवं परतीया पुत्र दला का 1/2 हिस्सा पर खातेदारी चली आ रही है, जिससे वादीगण द्वारा बेचान का गलत होने से कथन पूर्णतया गलत होने के आधार पर वादीगण का उक्त वाद दिनांक 15.06.2016 को खारिज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष राजस्व अपील संख्या 61/2016 अपील अन्तर्गत धारा 223

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आर.टी.एक्ट मे की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमाड श्रीमान सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ) देसूरी का राजस्व वाद 262/2015 मे निर्णय दिनांक 15.06.2016 को अपास्त कर पुनः सुनवाई के निर्देशों सहित पत्रावली विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषि की गई है, जिससे वादीगण का वाद सारहीन होने से काबिल निरस्त के है।

14– यह कि वादिगण द्वारा कब्जाकाश्त का कथन गलत होने से अस्वीकार है, वादीगण द्वारा फर्जी विक्रय पत्र का कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण परतीया व खुमा के निधन के बावजूद भी आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम लगातार चला आ रहा है तथा उनके उत्ताराधिकारी का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर लगातार चला आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की तरफ से धमकियां देने का कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। जिनको अनुसूचित जनजाति के प्रतिवादीगण की कब्जा, काश्तसुदा उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर कोई हक–अधिकार नहीं है। क्योंकि आर.टी.एक्ट की धारा 42 से प्रतिबधित है, जिससे वादीगण का वाद काबिले खारिज के है। अतः न्यायहित में अनुसूचित जनजाति के कब्जा काश्तसुदा खातेदार का जवाब स्वीकार फरमावे तथा वादीगण का सारहीन उक्त राजस्व वाद खारिज फरमावें।

15– वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा की प्रति वकील वादीगण को दिलाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 लगाय 9 का पूर्व में प्रस्तुत इकबालिया जवाब पत्रावली में संलग्न है।

16– न्यायालय द्वारा दिनांक– 24.03.2021 को प्रकरण में तनकी निम्न तनकी कायम की गईः–

(1) आया वादीगण गैरूनाथ व अन्‍ द्वारा वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम गुडा आसकरण, पटवार हल्का सुमरे, तहसील देसूरी जिला पाली में स्थित आराजी कृषि भूमि की खातेदारी कब्जा काश्त शुदा खसरा संख्या 545, 547 से लगाय 558 कुल रकबा 05. 9400 हैक्टर कुल कीता 13 है, जो विरासत खुमा पुत्र केसा हिस्सा 1/2 व परतीया पुत्र दला मीणा के नाम पर हिस्सा 1/2 हक व हिस्से की रही है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।..................**जिम्मे वादी।**

(2) आया वादीगण गैरूनाथ व अन्य जातिगण नाथ है जो गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिसने वाद बाबत घोषण दिनांक 01.10.2015 को पेश किया है।....**जिम्मे वादी**

(3) आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैख जिनकी उक्त पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि व कब्जा काश्तशुदा पर गैर अनुसूचित जनजाति के वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है।............जिम्मे प्रतिवादी।

(4)आया प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 द्वारा उनके हक हिस्से की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का बेचान जरिये मुख्तियार नामा कर दिया है जिस पर अब उनका हक अधिकार नहीं रहा है। .... जिम्मे प्रतिवादी।

(5) आया वाद म्याद बाहर है। .... जिम्मे प्रतिवादी।

(6) अनुतोष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

देसूरी (पाली)

17– पत्रावली शहादत वादी हेतू नियत की गई। वकील वादीगण ने शहादत हेतु पी. डब्ल्यू 1 गेरूनाथ व पी.डब्ल्यू 2 रामनाथ के शपथ पत्र पेश किये एवें बयान कलमबद्ध करवाये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता पोकरलाल परिहार की तरफ से जिरह की गई।

18– वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी साक्ष्य कानाराम, गजरो मीणा, शांति मीणा व लक्ष्मी मीणा के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये । DW-1 गजरो पुत्री परताराम व DW-2 कानाराम पुत्र परताराम के बयान कलमबद्ध किये जिसकी जिरह वकील वादीगण श्रवणसिंह द्वारा की गई। निम्न दस्तावेज प्रदर्श D1 से D21 कराये गये।

19– अधिवक्ता उभय पक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 से लगायत 4 ने अपनी लिखित बहस के साथ निम्नांकित न्यायिक उद्धकरण पेश किये जो निम्नानुसार है :–

1. RRT 2011-12 राजस्थान उच्च न्यायालय– इन्दु बनाम नृसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 24.08.2012
2. 2011(2)RRT 1253 सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 11.10.2011
3. 2011(1)RRT Page 397 उच्च न्यायालय
4. 2013(1)RRT Page 7 सुप्रीम कोर्ट
5. 2011(2)RRT Page 916 सुप्रीम कोर्ट
6. 2008(1)RRT Page 683 उच्च न्यायालय
7. 2006(1)RRT Page 385 राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान
8. 1983 RRT Page 159 उच्च न्यायालय
9. 1986 RRT Page 51 उच्च न्यायालय
10. 1990 RRT Page 141 राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान
11. 1987 RRT Page 307 राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान
12. 2008(2) DNJ 683 (2008) WLC 733 (2008) 3 WLN 237 राजस्थान उच्च न्यायालय डिवीजन बैंच

20– अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुराने ख.नं. 91/1 रकबा 40 बीघा खुमा, परतीया के नाम 1/2–1/2 दर्ज है जिसे पतरीया ने 05.051955 एवं खुमा ने 15. 06.1956 को अपना 1/2–1/2 सम्पूर्ण जमीन वादी के पिता/दादा को बेचान मय लिखत कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था। जिस बेचान का पतरीया एवं खुमा ने अपने जीवनकाल में किसी तरहा एतराज नहीं [illegible] मृत्यु के पश्चात 1974 में परतीया की पत्नी चूनी प्रतिवादीगण की माता [illegible] 12 मे वाद वेजनाथ के विरूद्ध पेश किया। 183 आर.टी.एक्ट [illegible] बाद सुनवाई के दिनांक 23.06. 82 को खारिज हुआ जिसकी [illegible] ने 212 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया वह भी दिनांक 31.07.1979 का खारिज कि[illegible]या। जिसकी अपील आर.ए.ए कोर्ट में 385/79 पर दर्ज के बाद विधिक रूप से सुनवाई के बाद दिनांक 30.101980 को अपीलीय कोर्ट द्वारा खारिज किया गया। तत्पश्चात् कोई अपील या रिवीजन पेश नहीं किया गया। बेचान से लगातार वादी एवं उसके वारिसान वादग्रस्त आराजी पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 09 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

देसूरी (पाली)

बेचाननामा के दौरान आर.टी.एक्ट लागू नहीं था यह एक्ट दिनांक 14.10.1955 को लागू हुआ। जबकि इस एक्ट के लागू हाने से पूर्व ही बेचान किया गया। अतः वादीगण इस एक्ट से प्रतिबंधित नहीं होते। धारा 42 में स्पष्ट प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं होते। तथा धारा 53(क) के तहत बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी सम्पति अंतरण को सही माना। वादीगण द्वारा घोषणा का वाद पेश किया जिसे एस.डी.एम न्यायालय ने खारिज किया जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में की गई जिसमें बाद सुनवाई के निर्णय वादीगण के पक्ष में कर उक्त पत्रावली पुनः ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हेतु भेजी गई। बेचाननाम भी प्रतिवादी द्वारा फर्जी नहीं बताया गया। 1955 से लगभग 70 वर्षो से कब्जा वादीगणों का यह खुमा के वारिसान द्वारा अपने इकबालिया जवाब में स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमावें।

21– अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4 की तरफ से अपनी बहस में जवाबदावा वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क किया कि उक्त प्रकरण पुराना है 2015 से विचाराधीन है। जो पूर्व में न्याय आपके द्वारा केम्प सुमेर में पत्रावली 15.06.2016 को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खारिज की गई थी पुनः आ.ए.ए कोर्ट से रिमाण्ड होकर पुनः प्राप्त हुई। अंपजीकृत दस्तावेज से बेचान हुई है जो मान्य नहीं है। दिनांक 19. 8.94, 16.12.96, 1.2.96, 31.11.98 एवं 99, 14.9.2000, 27.3.2003 लगान की रसीदें खुमा/केना 1/2, परतीया/दला के नाम से जमा है। लगान प्रतिवादीगणों द्वारा जमा कराया जा रहा एवं कब्जा काश्त प्रतिवादीणों के पूर्वजों एवं वारिसान का है। काना/परतीया का नामान्तरण दर्ज होकर उनका कब्जा काश्त है। प्रतिकुल कब्जे के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी(2) पेज 214 राज.उच्च न्यायालय जयपुर बैंच का निर्णय पेश है। आर.टी.एक्ट दिनांक 1.05.1955 को प्रभाव में आने के पश्चात् धारा 42 का उल्लघंन करके दी गई जिससे यह वाद डिक्री शून्य है। एवं गेरूनाथ के बयानों में खुमा/केसा के बीच केस नहीं चलना दर्शाया जो कि गलत है अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाए।

20– बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, गवाहरो के बयान का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पूर्व में विरचित तनकियात नम्बर 1 व 2 जो कि वादीगण के जिम्मे थी व तनकी नम्बर 4 जो प्रतिवादीगणों के जिम्मे थी। वादपत्र का अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा वादपत्र में इस प्रकार के किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त तनकियात इस प्रकरण में निर्णय किये जाने हेतु सुसंगत नहीं है अतः तनकी नम्बर 1, 2 व 4 को निरस्त किया जाता है। न्यायालय वाद निर्णयन हेतु नवीन तनकियात विचरित किया जाना उचित समझता है। अतः अंतिम रूप से निम्न नवीन तनकियात विचरित की गई :–

तनकी नम्बर–1 आया विवादित आराजियात साबिक आराजी नम्बर 91/1 नवीन खसरा नम्बर 545, 547 लगाय 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर विधिवत विक्रय पत्र दिनांक 5.5.1955 व 15.6.1956 के आधार पर एवं 1955–56 से आज दिन तक निरंतर कब्जे के

पेज लगातार 10 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आधार पर वादीगण विवादित आराजियात के कानूनन खातेदार हो गये है अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 के पूर्वज परतीया व खुमा का नाम हटा विवादित आराजियात अपने नाम पर खातेदारी कराने के अधिकारी है। ....जिम्मे वादीगण।

तनकी नम्बर–2 आया वादीगण विवादित आराजियात के संबध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। ....जिम्मे वादीगण।

तनकी नम्बर– 3 आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 4 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिसकी उक्त पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि कब्जा काश्तशुदा पर गैर अनुसूचित जनजाति के वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। ..जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4।

तनकी नम्बर– 4 आया वाद मियाद बाहर है। ..जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4।

23– बहस के दौरान दिये गये तर्को एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाकर वाद में कायम नवीन विवाद्यक बिन्दुओं का तनकियातवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नम्बर–1 आया विवादित आराजियात साबिक आराजी नम्बर 91/1 नवीन खसरा नम्बर 545, 547 लगाय 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर विधिवत विकय पत्र दिनांक 5.5.1955 व 15.6.1956 के आधार पर एवं 1955–56 से आज दिन तक निरंतर कब्जे के आधार पर वादीगण विवादित आराजियात के कानूनन खातेदार हो गये है अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 के पूर्वज परतीया व खुमा का नाम हटा विवादित आराजियात अपने नाम पर खातेदारी कराने के अधिकारी है। ....जिम्मे वादीगण।

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 15,19,88,89,92क,188 राज. काश्त. अधिनियम 1955 पेश किया। वादपत्र में वर्णित किया कि विवादित आराजियात साकिब नम्बर 91/1 से बनी है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 545, 547 लगाय 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर है जो कि ग्राम गुडा आसकरण पटवार हल्का सुमेर तहसील देसूरी में अवस्थित है। परतिया पिता दला मेणा ने साबिक आराजियात में निहित अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 5.5.1955 को जरिये विधिवत विकय पत्र के जरिये प्रतिफल 3600/– रूपये वादीगण के पिता एवं दादा वेजनाथ को कब्जा सुपुर्द कर दिया।

खुमा पिता केना मेणा ने भी अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 15.6.1956 को वादीगण के पिता एवं दादा वेजनाथ को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। वादीगण का आर.टी.एक्ट के प्रभाव में आने के वक्त से ही विधिवत विकय पत्र के आधार पर विवादित आराजियात पर बहैसियत खातेदार कब्जा [illegible] है एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का विवादित [illegible] के आधार पर कब्जा होते हुए भी प्रतिवादी संख्या [illegible] प्राप्त करने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत 17.9.19[illegible] को न्यायालय हाजा में वादीगण के मौरूस वेजनाथ के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 69/74 थे। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.1982 को खारिज किया जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगणों द्वारा कोई भी अपील नहीं की गई। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

पेज लगातार 11 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आर.टी.एक्ट भी प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.07.79 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील प्रकरण संख्या 385/79 भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 30.10.1980 को खारिज कर दी गई।

प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 अपने पूर्वज परतिया एवं खुमा द्वारा वादीगण के मौरूस वेजनाथ को किये गये विक्रय क्रमशः दिनांक 5.5.1955 एवं 15.6.1956 का कोई खण्डन नहीं किया है ना ही उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत् आज दिन तक कोई चाराजोही की है। प्रतिवादीगण परतीया एवं खुमा के फुटस्टेप पर ही आये है अतः उक्त बिकाव से पाबंद होकर बाध्य है।

अतः वादीगण विवादित आराजियात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अधिकारी है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा निम्न गवाहान पेश किये गये :-

1. पी.डब्ल्यू 1 – गैरूनाथ/विजेनाथ
2. पी.डब्ल्यू 2 – रामनाथ/नारायणनाथ

वादीगणों द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 4 ने अपने जवाब दावा में वर्णित किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 545, 547 लगाय 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर खुमा पुत्र केना जाति मीणा एवं परतीया पुत्र दल्ला जाति मीणा की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी है। जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिस पर गैर अनुसूचित जनजातिगण के वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। क्योंकि राजस्थान काश्त. अधिनियम की धारा 42 से प्रतिबंधित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निम्न गवाहान पेश किये :-

(1) गजरो पुत्री परताराम – डी.डब्ल्यू–1
(2) कानाराम पुत्र परताराम – डी.डब्ल्यू–2

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निम्न दस्तावेज प्रदर्श पेश कराये गये :-
प्रदर्श D1- जमाबंदी सम्वत् 2020–2022, प्रदर्श D2- जमाबंदी सम्वत् 2023–2025, प्रदर्श D3- जमाबंदी सम्वत् 2026–2029, प्रदर्श D4- जमाबंदी सम्वत् 2030–2033, प्रदर्श D5- जमाबंदी सम्वत् 2034–2037, प्रदर्श D6- जमाबंदी सम्वत् 2047–2050, प्रदर्श D7- जमाबंदी सम्वत् 2050–2052, प्रदर्श D8- जमाबंदी सम्वत् 2041–2060, प्रदर्श D9- भू–प्रबंध विभाग जोधपुर द्वारा जारी जमाबंदी 2059–62, प्रदर्श D10- जमाबंदी सम्वत् 2063–2060, प्रदर्श D11- जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, प्रदर्श D12- जमाबंदी सम्वत् 2071–2074, प्रदर्श D13- अंतिम चोसला आधार सम्वत् 2073–76, प्रदर्श D14- भू–प्रबंध विभाग जोधपुर द्वारा जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श D15- रंगीन ट्रेस नक्शा, प्रदर्श D16- खसरा गिरदावरी, प्रदर्श D17- अनुसूचित जनजाति मूल प्रमाण–पत्र एवं प्रदर्श [illegible] फोटो प्रति, प्रदर्श D18- जमाबंदी सम्वत् 2055–2058, प्रदर्श D19- जमाबंदी सम्वत् [illegible]1–[illegible], प्रदर्श D20- न्याय आपके द्वार केम्प–सुमेर तहसील देसूरी शिविर प्रभारी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा वादीगण का राजस्व वाद अनरजिस्टर्ड [illegible] दिनांक 15.06.2016 को खारिज किया गया, प्रदर्श D21- वादीगण द्वारा दिनांक 06.03.2[illegible] को विक्रय–विलेख जरिये आम मुख्तयारनामा उप–पंजीयक देसूरी से पंजीकृत करवाया गया, जो विधि विरूद्ध होने से राजस्व वाद खारिज किया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 12...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश (12) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर पुराना 262/2015 एवं नया 32/18 अनवान गेरूनाथ व अन्य बनाम कानीया व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 15,19,88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट 1955....

प्रतिवादी संख्या 5 लगाय 9 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा पेश वादपत्र, जवाबदावा, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहान का गहन अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अभिभाषकों की बहस पर पर गंभीर चिंतन एवं मनन किया गया।

वादी पक्ष के गवाहानों के बयानों का परीक्षण किया गया। प्रतिवादी पक्ष के गवाहानों के बयानों का परीक्षण किया गया। गवाहान डी.डब्ल्यू 2 गजरों ने अपने बयानों में विवादति आराजियात के बेचान से इंकार किया है एवं स्वयं का कब्जा बताया है।

वादी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया

(1) 2017(3) WLN 438 Raj.

(2) 2016(4) DNJ Raj. 1663

(3) 2002(1) DNJ Raj. 450

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये

1. RRT 2011-12 राजस्थान उच्च न्यायालय– इन्दु बनाम नृसिंह वगैरा निर्णय दिनांक 24.08.2012
2. 2011(2)RRT 1253 सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 11.10.2011
3. 2011(1)RRT Page 397 उच्च न्यायालय
4. 2013(1)RRT Page 7 सुप्रीम कोर्ट
5. 2011(2)RRT Page 916 सुप्रीम कोर्ट
6. 2008(1)RRT Page 683 उच्च न्यायालय
7. 2006(1)RRT Page 385 राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान
8. 1983 RRT Page 159 उच्च न्यायालय
9. 1986 RRT Page 51 उच्च न्यायालय
10. 1990 RRT Page 141 राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान
11. 1987 RRT Page 307 राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान
12. 2008(2) DNJ 683 (2008) WLC 733 (2008) 3 WLN 237 राजस्थान उच्च न्यायालय डिवीजन बैंच

निष्कर्ष :– इस तनकियात के निर्णय हेतु महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विवादग्रस्त आराजियात का जो विक्रय पत्र का क्रमशः दिनांक 5.5. 1995 एवं 15.6.1956 को निष्पादन हुआ क्या वह विधिवत् विक्रय की परिभाषा में आता है।

वादीगण एवं प्रतिवादीणों के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 5.5.1955 एवं 15.6.1956 अपंजीकृत दस्तावेज है। आर.टी.एक्ट [illegible] धारा 41 के तहत खातेदार के हित की अन्तरणीयता धारा 42 [illegible] द्वारा की जा सकती है।

सम्पति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत विक्रय की परिभाषा वर्णित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि ऐसा अन्तरण [illegible] सौ रूपये और उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर सम्पति की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(ख) के अधीन उस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करना अनिवार्य है।

पेज लगातार 13 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश (13) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर पुराना 262/2015 एवं नया 32/18 अनवान गेरूनाथ व अन्य बनाम कानीया व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 15,19,88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट 1955....

(Surji & ors. V/s Devendra & ors. 2013(3) RRT 1164)

अपंजीकृत हस्तान्तरण दस्तावेज से किसी भी हस्तान्तरिति को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते। 100/— रूपये से अधिक की अचल सम्पति का हस्तांतरण अपंजीकृत दस्तावेज से नहीं किया जा सकता है।

अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादीगणों के हक में किसी प्रकार के अधिकारों का अर्जन नहीं होता है। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि खातेदारी अर्जित करने के वर्णित विधिमान्य तरीकों में से किस तरीके से उनको खातेदारी अर्जित हुई है। केवल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अर्जित होने के प्रावधान अधिनियम 1955 अथवा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में नहीं है। वादीगणों द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे वादीगण उक्त तनकियात अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रहे है। अतः न्यायालय उक्त तनकियात वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाना उचित समझता है अतः तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–2 आया वादीगण विवादित आराजियात के संबध में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। ....जिम्मे वादीगण।

वादीगण ने वादपत्र मे वर्णित किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 545, 547 लगाय 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर गलत एवं अवैध तरीके से परतीया एवं खुमा के नाम पर अभिलिखित है अतः उनके वारिसान कभी भी अपने नाम पर अभिलिखित करवाकर रहन, बय, बक्षीस कर हस्तान्तरित कर सकते है एवं वादीगण को बेदखल कर सकते है। अतः प्रतिवादीगण 1 लगाय 9 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वादीगणों के 60 वर्षो के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करें एवं बेदखल नहीं करें।

वादीगणों द्वारा कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये। प्रतिवादी संख्या 5 लगाय 9 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4 द्वारा एस.सी.–एस.टी. की जमीन होने से धारा 42 से प्रतिबंधित होने स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

प्रतिवीगण संख्या 1 लगाय 4 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श D-21 का अवलोकन किया गया। जो कि एक विक्रय विलेख है जिसका निष्पादन वादी संख्या 4 रामनाथ/नारायणनाथ जाति नाथ द्वारा बहैसियत मुख्तियार (1) गैरकी पत्नी रामलाल प्रतिवादी सं. 9 (2) जमूडी पुत्री खुमा प्रतिवादी सं. 7 (3) डलाराम पुत्र रा[illegible] प्रतिवादी सं. 8 (4) भंवरलाल पुत्र खुमा प्रतिवादी सं. 6 (5) वजा[illegible] पुत्र खुमा प्रतिवादी [illegible] जातिगण मीणा द्वारा चेनाराम पुत्र दीपाराम जाति भील निवासी [illegible]।

उक्त विक्रय पत्र के जरिये ख.नं. 545, 547 लगाय 558 कल किता 13 में से अपने–अपने हिस्से का बेचान किया गया जो कि [illegible] में विवादग्रस्त आराजियात है। इस प्रकार से वादी संख्या 4 रामनाथ/नारायणनाथ एवं प्रतिवादीगण संख्या 5,6,7,8,9 द्वारा दुरभिसंधी कर वाद में इकबालिया जवाब पेश कर दिया साथ ही उक्त जमीन का बेचान भी कर दिया।

पेज लगातार 14 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 4 द्वारा भी एक तरफ तो विवादग्रस्त आराजियात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया। दूसरी तरफ दौराने वाद पेण्डिग रहते हुए विवादग्रस्त आराजियात मे जरिये बहैसियत मुख्तियार प्रतिवादी संख्या 5 लगाय 9 का हिस्सा विक्रय कर दिया।

वादी संख्या 4 रामनाथ जो कि पी.डब्ल्यू 2 गवाह है, ने अपने बयानों में जिरह के दौरान इस प्रकार के किसी भी दस्तावेज के निष्पादन से इंकार करते हुए मिथ्या बयान दर्ज कराये। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4 रिकॉर्डेड खातेदार के वारिसान है।

जब विवादित भूमि पर वादीगण का स्वामित्व ही प्रमाणित नहीं है एवं ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य है तो वादीगण का यह कथन अविश्वसनीय है कि वे इस विवादित भूमि पर काबिज है। वादी संख्या 4 रामनाथ द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करना भी कब्जे की धारणा को मिथ्या साबित करता है। वादीगणों द्वारा अपने बयानों में भी मिथ्या कथन किये गये है। प्रतिवादीगण 1 लगाय 4 अभिलिखित खातेदार के वारिसान है अतः वादीगणों के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर– 3 आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 4 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिसकी उक्त पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि कब्जा काश्तशुदा पर गैर अनुसूचित जनजाति के वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। ..जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4।

उक्त तनकियात साबित करने की जिम्मदारी प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 की थी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 4 द्वारा जवाब दावा में कथन किया कि प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के है। उनके कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि पर वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। क्योकि आर.टी.एक्ट की धारा 42 से प्रतिबंधित है।

प्रतिवादीगणों द्वारा प्रदर्श D17A अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र गजरोदेवी का पेश किया। वादीगण द्वारा मेणा जाति अनुसूचित जनजाति में वर्णित नहीं होने का कथन करते हुए आर.टी.एक्ट की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होने का कथन किया। प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाणपत्र से प्रतिवादीगणों द्वारा का अनुसूचित जनजाति का होना प्रमाणित होता है। वादीगणों ने अपने बयानों में जिरह के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया कि वह नाथ जाति के होकर अन्य पिछडा जाति वर्ग से है। अतः उक्त तनकियात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 4 के साबित होने से प्रतिवादीगणों के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर– 4 आया वाद मियाद बाहर है। ..जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4।

उक्त तनकियात साबित करने की जिम्मदारी प्रतिवादीगण 1 लगाय 4 की थी। उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगणों द्वारा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगणों द्वारा साबित नहीं करने से विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 निर्णित की जाती है।

पेज लगातार 15 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु प्रकरण में अंतिम रूप से 4 तनकीयात विरचित की गई थी। जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 निर्णय हेतु अन्यंत महत्वपूर्ण थी एवं वादीगणों को साबित करनी थी। वादीगणों द्वारा उक्त तनकियात को साबित करने के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हे। तनकियात नम्बर 3 तथ्य आधारित थी एवं प्रतिवादीगणों 1 लगायत 4 के पक्ष में निर्णित की गई। तनकी नम्बर 4 प्रतिवादीगणों को सिद्ध करनी थी। साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अभाव में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 साबित नहीं कर पाये अतः उनके विरूद्ध निर्णत की गई।

वादीगण अपना वाद सिद्ध कराने में असफल रहे अतः न्यायालय की राय में वाद खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है अतएवं

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादग्रस्त आराजियात 545, 547 से लगायत 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर ग्राम गुडा आसकरण पटवार हल्का सुमेर में स्थित जमीन में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 27/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
1. गेरूनाथ पुत्र विजेनाथ उम्र–वयस्क 2. सोहननाथ पुत्र विजेनाथ उम्र–वयस्क 3. घीसूनाथ पुत्र विजेनाथ उम्र–वयस्क 4. रामनाथ पुत्र नारायणनाथ उम्र–वयस्क 5. शिवनाथ पुत्र नारायणनाथ उम्र–वयस्क 6. भंवरनाथ पुत्र नारायणनाथ उम्र–वयस्क 7. अणछी बेवा नारायणनाथ उम्र–वयस्क 8. सुरेशनाथ पुत्र नवलनाथ उम्र–वयस्क 9. लक्ष्मी बेवा नवलनाथ उम्र–वयस्क तमाम जातिगण– नाथ, निवासीगण– गांथी, तहसील–देसूरी जिला–पाली(राजस्थान)		1. कानीया पुत्र परतीया 2. कन्या बेवा बालिया 3. मु. लक्ष्मी पुत्री परतीया 4. मु. गजरों पुत्री परतीया 5. वजाराम पुत्र खुमा 6. भंवरलाल पुत्र खुमा 7. जमूडी पुत्री खुमा 8. डेलाराम पुत्र रामलाल 9. गेरकी पुत्री रामलाल तमाम–जातिगण–मेणा, निवासीगण–गांथी, तहसील–देसूरी जिला–पाली(राजस्थान) 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 15,19, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– नया 32/18 एवं पुराने वाद संख्या 262/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री श्रवणसिंह मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री पोकरलाल परिहार मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादग्रस्त आराजियात 545, 547 से लगायत 558 कुल किता 13 रकबा 5.94 हेक्टर ग्राम गुडा आसकरण पटवार हल्का सुमेर में स्थित जमीन में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सिद्ध कराने में असफल रहे है। अतः वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिकी पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7 माह 7 सन् 2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:06 IST
Reason: SelfAttested